दिनांक 17.08.2016 को कृषि विभाग के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— पंजी में संधारित।

1. सभी योजना के नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे सर्वप्रथम इस वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं की स्वीकृति की स्थिति से सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

2. बीज

2.1 उप निदेशक (शष्य), बीज, बिहार द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में खरीफ एवं रब्बी हेतु राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनी कीट बीज वितरण योजना एवं रब्बी 2016–17 में गेहूँ प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम की योजना स्वीकृत हो गई है। स्वीकृति आदेश तथा आवंटन आदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खरीफ, 2016 की भौतिक उपलब्धि के अनुसार यथाशीघ्र राशि की निकासी कर संबंधित को भुगतान किया जाय।

2.2 सूचित किया गया है कि इस वर्ष रब्बी में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु एक नई योजना स्वीकृत की जा रही है, जिसके अन्तर्गत गेहूँ, चना, मसूर, मटर, राई/सरसों एवं तीसी के आधार बीज किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा। एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए आधार बीज अनुदान पर दिया जायेगा। इस योजना के लिए सभी किसानों को एम0आई0एस0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना तथा आधार संख्या एवं बैंक का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा तथा राज्य प्रमाणन एजेन्सी राज्य में आधार बीज उत्पादन करने वाले सभी संस्थाओं के टैग आदि का विवरण ऑनलाईन करेंगे।

2.3 सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, खरीफ, 2016 अन्तर्गत धान में 73 प्रतिश एवं अरहर में 9 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। अरहर बीज उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस में उपलब्धि नहीं हो सकी है।

2.4 एकीकृत बीज ग्राम योजना, खरीफ 2016 अन्तर्गत अरहर बीज का लक्ष्य गया जिला को दिया गया था। लेकिन बीज उपलब्ध नहीं रहने के कारण वहाँ उपलब्धि नहीं हो सकी है। मडुआ बीज का लक्ष्य नालन्दा एवं बक्सर जिला में था। बक्सर जिला में शत–प्रतिशत उपलब्धि हो गई है।

2.5 मिनीकिट योजना, खरीफ, 2016 अन्तर्गत 21 जिलों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य 18000 क्वीं0 के विरूद्ध 3489.40 क्वीं0 की उपलब्धि हुई है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार प्राप्त बीज का अविलम्ब बीज वितरण करना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि की निकासी कर संबंधित को भुगतान किया जाय।

2.6 खरीफ, 2016 में अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित धान का लक्ष्य 27087.14 क्वीं0 के विरूद्ध 3039.44 क्वीं0, संकर धान का लक्ष्य 52,846 क्वीं0 के विरूद्ध 21,615.95 क्वीं0 तथा संकर मक्का का लक्ष्य 10370.90 क्वीं0 के विरूद्ध 5439.22 क्वीं0 की उपलब्धि हुई है।

2.7 सूचित किया गया कि रब्बी 2016–17 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना के साथ अनुदानित दर पर गेहूँ का प्रमाणित बीज वितरण किया जाएगा। अनुदानित दर पर कुल 3 लाख क्वीं0 गेहूँ बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीज वितरण की तैयारी अभी से प्रारम्भ कर दी जाय।

(अनु0– कंडिका 2.1 से 2.7 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. वर्षापात, आच्छादन / डीजल अनुदान

3.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में वर्षापात सामान्य से (–15) कम है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रत्येक दिन प्रखंडवार वर्षापात एवं आच्छादन का प्रतिवेदन एम0 एस0 एक्सल सीट में भेजने का निदेश दिया गया। राज्य में अभी तक धान का 90 प्रतिशत, मक्का का 91 प्रतिशत, दलहन का 59 प्रतिशत तथा तेलहन का 40 प्रतिशत आच्छादन हो गया है। नालन्दा, गया, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका में धान का आच्छादन कम हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि कुछ प्रखंडों में वर्षा कम होने के कारण धान की रोपनी कम हुई है। 25 अगस्त तक धान की रोपनी होगी। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि वहाँ 84 प्रतिशत धान आच्छादन की उपलब्धि हुई है। राजगीर, सीलाव एवं अस्थांवा प्रखंड में अभी तक रोपनी कम हुई है। यहाँ रोपनी अभी हो रही है, जिला में शत–प्रतिशत धान की रोपनी हो जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि जिला में सोयाबीन की खेती बहुत अधिक होने के कारण यहाँ धान आच्छादन का क्षेत्र कम हो गया है। भागलपुर में 74 प्रतिशत, बांका में 72 प्रतिशत एवं शेखपुरा में 75 प्रतिशत धान की रोपनी हुई है। यहाँ रोपनी अभी भी हो रही है।

3.2 डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना में 9000 कृषकों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 3000 कृषकों का सत्यापन कर लिया गया है। राशि निकासी की कार्रवाई की जा रही है। नालन्दा में 52.52 लाख रू0 वितरण किया गया है। 46.20 लाख रू0 कोषागार से निकासी की ली गई है। गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर, भोजपुर, सारण, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर में डीजल अनुदान हेतु कृषकों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है तथा विपत्र तैयार कर कोषागार को भेजा जा रहा है। निदेश दिया गया कि जिलों के जिन प्रखंण्डों में वर्ष कम हुई है, उन प्रखंडों में डीजल अनुदान वितरण हेतु अविलम्ब आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर अनुदान की राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के खाता में जमा कराया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर, रोहतास, एवं भभुआ द्वारा बताया गया कि उनके जिला में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता नहीं है। खरीफ 2016 में डीजल अनुदान वितरण का प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0–3.1 –3.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.3 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुजफ्फरपुर जिला में डीजल अनुदान हेतु कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र का अभी तक सत्यापन नहीं किया गया है। संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्राप्त आवेदन का दिनांक 19.08.2016 तक सत्यापन कर दिनांक 31.08.2016 तक राशि की निकासी कर लाभूकों के खाता में राशि जमा करा दिया जाए एवं प्रतिवेदन दिनांक 01.09.2016 को उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0– संयुक्त निदेशक (शष्य) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर)

3.4 सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि गत वर्ष खरीफ एवं रब्बी में दिये गये डीजल अनुदान की राशि आ0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध हुई है या नहीं इसका जॉच कर प्रखंडवार / बैंकवार प्रतिवेदन दिनांक 31.08.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें तथा यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि किस बैंक में कितनी राशि अभी भी आर0टी0जी0एस0 हेतु बाकी है। वर्ष 2015–16 का मौसमवार डीजल अनुदान वितरण हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0– सभी संयुक्त निदेशक, शष्य / सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.5 संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना एवं उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना को डीजल अनुदान वितरण के संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी / उप निदेशक, शष्य, सूचना)

3.6 आकस्मिक फसल योजना

निदेश दिया गया कि आकस्मिक फसल योजना हेतु जिन जिलों को बीज की आवश्यकता है, वे अविलम्ब बीज की मांग भेज दें। बी0आर0बी0एन0 के पास उपलब्ध बीज उन जिलों को दिया जाएगा तथा शेष बीज की व्यवस्था की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया, मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण द्वारा बताया गया कि उनके जिला में आकस्मिक फसल हेतु बीज की आवश्यकता नहीं है।

3.7 ताड़, खजूर एवं नारियल पेड़ की गिनती :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जमुई के दो प्रखंडों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जमुई से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है वह सहीं नहीं है, उसका मिलान कर भेजने का निदेश दिया गया। अरवल से पंचायतों / ग्रामों की सं0 प्रतिवेदित नहीं किया गया है। पूर्णिया से ग्रामों की सं0 अप्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 20.08.2016 तक इस प्रतिवेदन को पूर्ण कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

3.8 कृषि टास्क फोर्स की बैठक में कृषि विभाग से जुड़े सभी विषयों का कार्यावली बनाकर समीक्षा करने तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही भेजने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

3.9 फेलिन चक्रवात हेतु वर्ष 2013–14 में उपलब्ध कराये गये कृषि इनपुट अनुदान मद का व्यय / उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि निदेशालय के पत्रांक 3279 दिनांक 03.08.2016 के आलोक में पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा एवं कटिहार से अप्राप्त है। इन जिलों को वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– 3.6 से 3.9 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>माननीय मंत्री, कृषि द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–</u>

4.1 कृषि विभाग राज्य का बहुत ही महत्वूपर्ण विभाग है। कृषि विभाग की योजनाएँ सीधे किसान से जुड़ा है। इसकी चर्चा सभी जगह होती है। किसान से ही राज्य एवं देश का विकास सम्भव है। कृषि विभाग की योजनाओं को ससमय क्रियान्वित किया जाय तथा जिलों से प्रतिवेदन ससमय मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। बिहार विकास मिशन की बैठक में मान्नीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

4.2 डीजल अनुदान वितरण में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बैंक की भूमिका अहम है। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका जिला कृषि पदाधिकारी की है। कृषि विभाग की योजनाओं में आ रही समस्याओं का निराकरण जिला पदाधिकारी के स्तर पर आयोजित होने वाली कृषि टास्क फोर्स की बैठक में कराया जाय तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि लाभुकों को अनुदान / सहायता राशि ससमय उपलब्ध हो जाए।

4.3 आगामी रब्बी हेतु विभिन्न उर्वरकों की व्यवस्था अभी से कर ली जाए। श्रीविधि से धान प्रत्यक्षण / रोपनी की जॉच की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषकों को सही उपादान सही ढंग से उपलब्ध हो। तार, खजुड़ एवं नारियल पेड़ से संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब भेजा जाए।

4.4 राज्य के विकास एवं इसका नाम रौशन करने में कृषि विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यो का दायित्व के साथ ससमय निष्पादन करें।

(अनु0 कंडिका– 4.1 से 4.4– सभी संबंधित पदाधिकारी)